(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 25/2023

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ (प्रार्थी)

बनाम

1. श्री देवेन्द्र जैन उम्र 42 वर्ष पुत्र केशव कुमार जैन जाति महाजन निवासी मेंन मार्केट, कस्बाथाना शाहबाद जिला बारां (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स मनोज कुमार, देवेन्द्र कुमार किराना स्टोर, मेंन मार्केट कस्बाथाना, शाहबाद जिला बारॉ (राज.)
2. मैसर्स मनोज कुमार, देवेन्द्र कुमार किराना स्टोर, मेंन मार्केट कस्बाथाना, शाहबाद जिला बारॉ
3. श्री नीतेश अग्रवाल पुत्र पुरूषोत्तम दास गुप्ता निवासी महावीर नगर गुरूद्वारे के पीछे, गुरूनानक स्कूल के पास, शिवपुरी मध्यप्रदेश (मालिक) मैसर्स संस्कार सेल्स एजेन्सी, इण्डस्ट्रीयल एरिया पानी की टंकी के पीछे शिवपुरी (म.प्र.)
4. मैसर्स संस्कार सेल्स एजेन्सी, इण्डस्ट्रीयल एरिया पानी की टंकी के पीछे शिवपुरी (म.प्र.)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– श्री नीरज कुमार नागर खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 27.03.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.08.2022 को मैसर्स मनोज कुमार, देवेन्द्र कुमार किराना स्टोर, मेंन मार्केट कस्बाथाना, शाहबाद जिला बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री देवेन्द्र जैन पुत्र केशव कुमार जैन (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.08.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूॅ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक/एच/एफएसएसएए/(एफ–28)नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं ... नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारॉ आवंटित ... गया और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा नि... **मिर्ची पाउडर (श्री संस्कार शुद्व मसाले) 500 ग्राम मूल पैली पैक** आम ज... हुये थे। मैंने अपना ... पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विकेता से परिचय लिया। विकेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **मिर्ची पाउडर (श्री संस्कार शुद्व मसाले) 500 ग्राम मूल पैली पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विकेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:56:23 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **मिर्ची पाउडर (श्री संस्कार शुद्व मसाले) 500 ग्राम मूल पैली पैक** के 04 पैकिट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री देवेन्द्र जैन पुत्र केशव जैन (विक्रेता एवं मालिक) को 360/– रूपये (अक्षरे तीन सौ साठ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **मिर्ची पाउडर (श्री संस्कार शुद्व मसाले) 500 ग्राम मूल पैली पैक** के चार मूल पैक को अलग–अलग चार प्लास्टिक के डिब्बो मे रखकर ढक्कन बन्द किया एवं प्रत्येक पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1545 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1545 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री देवेन्द्र जैन पुत्र केशव कुमार जैन (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्सलेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/251 दिनांक 08.09.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1224/PHL/kota/Act/2022/1226 दिनांक 30.08.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मिर्ची पाउडर (श्री संस्कार शुद्व मसाले) 500 ग्राम मूल पैली पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 के तहत **असुरक्षित (अनसेफ)** होना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जांच रेफरल फूड लैब, मैसूर से करवायी गई जिनके जॉच सर्टिफिकेट संख्या 100F/FSSA/2022 दिनांक 05.01.2023 के अनुसार धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 23.02.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:56:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **मिर्ची पाउडर (श्री संस्कार शुद्व मसाले) 500 ग्राम मूल पैली पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि मेरे द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले मिर्ची पाउडर (श्री संस्कार शुद्व मसाले) 500 ग्राम मूल पैली पैक का विक्रय किया जाता है। जिसमें मेरे द्वारा कोई मिलावट नहीं की गई है। अतः मेरे विरूद्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मिर्ची पाउडर (श्री संस्कार शुद्व मसाले) 500 ग्राम मूल पैली पैक** रेफरल फूड लैब, मैसूर से करवायी गई जॉच सर्टिफिकेट संख्या 100F/FSSA/2022 दिनांक 05.01.2023 से **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण को कुल जुर्माना राशि 28,000/– रूपये (अक्षरे अट्ठाईस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **27.03.2023** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:56:23 IST
Reason: SelfAttested